IV 1.14/13 I

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 598451

"श्री शिवबचन सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट"

ट्रस्ट डीड

मैं **रुक्मिणी देवी** पुत्रवधू श्री शिवबचन सिंह,ग्राम–बिजौली, पो0–अक्छोर, रावर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र की निवासी हूँ। मेरे ससुर श्री शिवबचन सिंह की बड़ी हार्दिक इच्छा है कि एक ट्रस्ट कायम करें जिससे समाज सेवा एवं शिक्षा की तरक्की हो सके एवं शहरी व ग्रामीण परिवेष के गरीब लड़के–लड़कियों को भी उच्च स्तर तक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए वे अक्सर गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा एवं परामर्श किया करते हैं। इसलिए हमने उनकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु **"श्री शिवबचन सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट"** बनाने का संकल्प लिया है। हम आज दिनांक 10.12.2013 को इस ट्रस्ट की घोषणा करते हैं। हम ट्रस्टीज ने इस ट्रस्ट के कार्य के लिए मुबलिग रू02500/– (रू0दो हजार पॉच सौ मात्र) इस ट्रस्ट को समर्पित करते हैं जो इस ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी। इस समय इसमें कोई अचल सम्पत्ति समाहित नहीं है। इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज व सदस्य इस ट्रस्ट से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। इस ट्रस्ट का नाम, कार्यालय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यावधि निम्न प्रकार होगी–

1. **ट्रस्ट का पूरा नाम–** **"श्री शिवबचन सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट"**
2. **ट्रस्ट का कार्यालय–** ग्राम–बिजौली, पो0–अकछोर(रावर्ट्सगंज) जनपद–सोनभद्र,उ0प्र0।
3. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–** सम्पूर्ण भारतवर्ष।
4. **ट्रस्ट का उद्देश्य–**

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रबंधन करना।
2. ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, अंगेजी भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन एवं प्रबंधन करना।
3. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबंध करना।

शिवबचन रुक्मिणी शि

14655

27-12-13

50/-
5

[illegible]

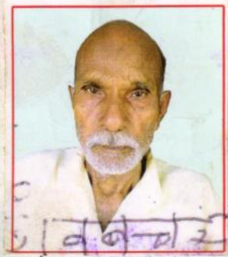

[illegible]

रुकिमणी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 598452

4. ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल चिकित्सालय, इन्जीनियरिंग कालेज, मैनेजमेंट कालेज एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

5. ट्रस्ट द्वारा गरीब और अनाथ बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं निःशुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण देना।

6. ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

7. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।

8. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।

9. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

10. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।

11. ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।

12. ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

13. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

14. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में हीं छोड़ देने वाली महिलाओं , बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम व कन्डेन्स कोर्स चलाना।

15. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

20. ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा , प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।

शिवबच्चन रुक्मिणी

14656

स्टाम्प बिक्री की तिथि.....................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.....................
स्टाम्प की धनराशि.....................

27-12-13

श्री 12199 ... - 14655

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल
लाइसेन्स नं0 ...19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

50
4

यास पत्र

2,500.00	100.00	20	120.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री   श्री शिवबचन सिंह समा0चैरि0ट्र0-प्र0ट्र-शिवबचन सिंह
पुत्र श्री   स्व0 रामनरेश   शिवबचन
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी   बिजौली पर0बड़हर पो0अकछोर तह0रा0गंज-सोनभद्र
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/12/2013 समय 12:41PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश चन्द्र श्रीवा0(प्र0)
उप निबन्धक
सोनभद्र
28/12/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी   शिवबचन

श्री श्री शिवबचन सिंह
समा0चैरि0ट्र0-प्र0ट्र-शिवबचन सिंह
पुत्र श्री स्व0 रामनरेश
पेशा कृषि
निवासी बिजौली पर0बड़हर पो0अकछोर
तह0रा0गंज-सोनभद्र

श्रीमती रूक्मिणी देवी (ट्रेस्ट कोषाध्यक्ष)
पुत्र श्री शिव कुमार वर्मा   रुक्मिणी
पेशा गृहिणी
निवासी बिजौली पो0अकछोर पर0बड़हर
तह0रा0गंज-सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 598453

21. ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए सिलाई–कढ़ाई, टंकण, आशुलिपि,कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड फोटाग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

22. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध ,असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

23. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों जलाशयों की सफाई मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

24. ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए करना कमजोर एवं निर्बल वर्गों को निःशुल्क आवास की व्यवस्था उपरी भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।

25. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बंधी जानकारी दिलाना। शिशु पालन गृह का संचालन करना।

26. ट्रस्ट द्वारा समायोजन हेतु संगोष्ठियों परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।

27. ट्रस्ट द्वारा सम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

28. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमाजर्न करना।

29. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों , मूक बधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा के समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जो देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शांति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें। जैसे कार्य करना।

30. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेंटिग, हस्तकला, हस्तकागज वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूत सामग्री, रैडीमेड गॉरमेन्टस, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइबर, गिलास, मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन

रुक्मणी

शिवबचन

1365/ 27-12-13

पी-12199 पत-140-146

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री मोती लाल सिंह

पुत्र श्री रामचन्द्र

पेशा कृषि

निवासी घुवासखुर्द पर0बड़हर तह0रा0गंज-सोनभद्र

व श्री ओमप्रकाश

पुत्र श्री जगदीश

पेशा कृषि

निवासी लखनवारखुर्द पर0विजयगढ़ तह0रा0गंज-सोनभद्र

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश चन्द्र श्रीवा0(प्र0)

उप निबन्धक

सोनभद्र

28/12/2013

५

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 598454

कृषि प्रशिक्षण खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि का उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

31. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा पौष्टिक आहार पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थो का उपयोग स्वास्थ्य उत्थान महिला समृद्धि योजना , ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।

32. ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संचालन एवं औषधी पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार–प्रचार की व्यवस्था करना।

33. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकतायुक्त खाद्यपोषण दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।

34. जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंग भेद, भ्रूण हत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुंचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

35. एच0आई0वी0/एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोगों का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

36. ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला का निर्माण कराना एवं जिला, प्रदेश, विदेश से आये श्रद्धालुओं के रहने की उचित व्यवस्था करना।

37. ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निः सहाय आवस पोषण पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

38. ट्रस्ट द्वारा मंदिर के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

39. ट्रस्ट द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य व मरम्मत कार्य को करना।

40. ट्रस्ट द्वारा रामलीला, दशहरा, आदि का कार्यक्रम कराना व उसमे सहयोग प्रदान करना।

रुक्मणी

शिवबचन

14650 27-12-13

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल
लाइसेंस नं0 - 19
लाइसेंस की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

न्यासी

Registration No.: 114 Year : 2,013 Book No. : 4

0101 श्री शिवबचन सिंह समा0चैरि0ट्र0-प्र0ट्र-शिवबचन सिंह

स्व0 रामनरेश

बिजौली पर0बड़हर पो0अकछोर तह0रा0गंज-सोनभद्र

कृषि

0102 रूक्मिणी देवी (ट्रस्ट कोषाध्यक्ष)

शिव कुमार वर्मा

बिजौली पो0अकछोर पर0बड़हर तह0रा0गंज-सोनभद्र

गृहिणी

5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 598457

41. ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

42. ट्रस्ट द्वारा मंदिर के रख–रखाव देखभाल व उसकी सुरक्षा करना और उसके लिए लोगों से सहायता प्रदान करना।

43. ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक आदि का प्रकाशन कराना व उसे समुदाय में वितरण कराना।

44. ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियन्त्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बंधी जानकारीपूरक पोषण को बढ़ावा कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बंधी देखभाल पर विशेष बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार–प्रसार करना।

45. पर्यावरण एवं परिस्थितियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामान्जस्य स्थापित करना।

46. ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नति पद्धतियों के द्वारा उत्पादनकर्ता को बढ़ाना भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंरक्षण जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

47. ट्रस्ट द्वारा सतत् ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बंधी राष्ट्रीय ऑकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्यौगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

48. ट्रस्ट द्वारा समी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।

49. ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कर दिशा निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करना।

50. ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण संचालन सर्वेक्षण अन्वेशण उपस्कर भूमिगत निर्माण अनुसंधान विकास कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण आदि का कार्य करना।

रुक्मणी

शिवबचन

14659

27-12-13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प की धनराशि..........

स्टाम्प विक्रेता का नाम मोहन लाल

लाइसेंस की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

5/5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 598458

51. ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमे प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा शांति वातावरण आवास व्यवस्था तथा शांति वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।

52. ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफता कैदियों/आजीवन कारावास कैदी के जीवर स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुर्नस्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधा व पुनवार्स के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना।

53. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यो/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यो/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्वियन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध, सांख्यिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यों का संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व सहयोग को उपलब्ध कराना।

54. ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधार भूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।

55. ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हतु प्रचार–प्रसार का आयोजन करना।

56. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल श्रोत, स्वच्छता एवं जलसंरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख रखाव व प्रबन्ध करना।

57. ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों ,व्यक्ति/व्यक्तियों ,स्वंय सेवी संगठनों से परियोजना सम्बंधी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

58. ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़, आंगनबाड़ी सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

59. समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड, नाबार्ड, मानव मंत्रालय, वनविभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जलनिगम जल

रुक्मणी

शिवबचन

क्र०सं०- 14660 27-12-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 50

स्टाम्प विक्रेता का नाम- ... लाल

लाइसेन्स नं० - 19..

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 598459

संसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

60. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों का जन–जन तक ज्ञान पहुंचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

61. गांवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मत्सय पालन, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार सम्बंधी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्सय पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

62. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

63. ट्रस्ट द्वारा उपभोगता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

64. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नई समितियों का गठन करना,पुरानी समितियों को अधिगृहित करना एवं उनका संचालन करना।

65. गरीब तबके के लड़के–लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना।

5. **<u>ट्रस्ट के धन का विनियोग–</u>**

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, चल–अचल सम्पत्ति खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं ट्रस्ट के हित में जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, पथ्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

रुक्मिणी

शिवबचन

14661

27-12-13

[illegible] 14655

स्टाम्प विक्री की तिथि..................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

क्रेता का नाम व पूरा पता..........

स्टाम्प की धनराशि..................

50

स्टाम्प विक्रेता का नाम- [illegible]

लाइसेंस सं0- [illegible]

लाइसेंस की अवधि

तहसील परिसर सदर

[illegible] सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 598460

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय,प्रबन्ध, हस्तांतरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक ,पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

5. अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हो।

6. **ट्रस्ट मण्डल-**

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें नामित सदस्य इस ट्रष्ट के आजीवन ट्रस्टीज होंगे तथा इन्हें ट्रस्ट का संस्थापक कहा जायेगा।

2. ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

3. ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर उनका उत्तराधिकारी होगा।

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

5. ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के निर्णय से की जायेगी।

6. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निर्णय हीं मान्य होगा।

7. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति के बाद हीं मान्य होगा।

8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

9. ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

रुक्मणी

शिवबचन

14662 27-12-17

[illegible] - 14655

स्टाम्प बिक्री की तिथि..................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......

स्टाम्प की धनराशि.................. 50

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल

लाइसेन्स नं0 - 19

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्ट्सगंज सोनभद्र

8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 598461

10. ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु आवष्यकतानुसार पूर्व के नियमावली में संसोधन कर सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

11. ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रष्ट के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन/संचालन कार्य हेतु आवष्यक पदों का गठन कर उस पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है।

7. **ट्रस्ट की सदस्यता-**

हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, वह आजीवन सदस्यता शुल्क 5000/–रू0 व वार्षिक सदस्यता शुल्क 1000/–रू0 अदा करेगा तब वह मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है।

8. **ट्रस्टीज के प्रकार-**

आजीवन सदस्य- नीचे दी गयी सूची में अंकित नाम जो इस ट्रष्ट के संस्थापक हैं वे ही ट्रस्ट मण्डल के स्थायी सदस्य/मुख्य ट्रष्टी कहलायेंगे और उनका कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर उनका उत्तराधिकारी होगा।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते व इस ट्रस्ट में उनका पद/कार्यभार जो सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम, पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री शिवबचन सिंह पुत्र स्व0 राम नरेश	अध्यक्ष/मैनेजिंग	बिजौली,अकछोर,रावर्टसगंज,सोनभद्र,उ0प्र0	कृषि

शिवबचन

रुक्मणी

14663 27-12-17

क्र० सं०-............

स्टाम्प बिक्री की तिथि............

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन............

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता............

स्टाम्प की धनराशि............ 50

श्री ... 14655

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]

लाइसेंस सं0 -19

... की अवधि

तहसील परिसर सदर

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 598472

	कुशवाहा	ट्रस्टी		व समाजसेवा,
2.	श्रीमती राम सिगासनी देवी पत्नि श्री शिव बचन सिंह	उपाध्यक्ष	बिजौली,अकछोर,रावर्टस्गंज,सोनभद्र,उ0प्र0	गृहकार्य व समाजसेवा,
3.	रुक्मिणी देवी पत्नि श्री शिव कुमार वर्मा	कोषाध्यक्ष	बिजौली,अकछोर,रावर्टस्गंज,सोनभद्र,उ0प्र0	गृहकार्य व समाजसेवा,

2. **वार्षिक सदस्य-** जो व्यक्ति ट्रस्ट को प्रत्येक वर्ष नियमानुसार शुल्क 1000/–रू0 अदा करेगा तब उसे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदय बनाने की मंजूरी की जायेगी। वह ट्रस्ट का वार्षिक सदस्य कहलायेगा और उसका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा। उसकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी, परन्तु उसकी भूमिका मात्र परामर्श देने की होगी।

3. **बैठक-** ट्रस्टीज बोर्ड की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, जो आवश्यकतानुसार 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलाई जा सकती है।

9. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-**

1. पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
3. आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।
4. ट्रस्ट की नियमावली में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।
5. किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो।

रुक्मिणी

शिवबचन

14664 27-12-13

क्रम सं0........................
स्टाम्प बिक्री की तिथि........................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........................
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........................
स्टाम्प की धनराशि........................

[illegible] 14655

50

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल
लाइसेन्स नं0 - 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
सवर्दसगंज-खोरखधा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 733958

6. किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से सब कमेटी बनाना।

10. **बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज:-**

ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत कार्य करने वाला समूह बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज कहलायेगा जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

11. **बैठक:-**

बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

12. **रिक्त स्थानों की पूर्ति:-**

ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के निर्णय से बचे हुए कार्यकाल के लिए ट्रस्ट मण्डल में से की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पद पर आजीवन स्थायी अथवा जिस व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के निर्णय से की जायेगी। बोर्ड आफ ट्रस्टीज के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद पुस्त दर पुस्त कानूनी प्रथम वारिस पुत्र ही कमेटी के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष होगा।

13. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-**

1. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. ट्रस्ट की वार्षिक रिर्पोट तैयार करना/करवाना।

14685 27-12-13

श्री रविकवयन — लेखक 14655

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 733959

3. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

14. **ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-**

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष

1. ट्रस्ट में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3. अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
5. ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबंध देखना।
6. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
7. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
8. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
9. समस्त निदेशकों, सदस्यों को लाभ प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी या अलाभकारी हो, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाना।
10. समस्त सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करना।
11. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियों/यूनिटें सम्मिलित हैं) के कार्यों का अनुश्रवण करना तथा अवष्यक कार्यवाही करना।
12. ट्रस्ट के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
13. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
14. प्रशासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करना।

रुक्मिणी

शिवबच्चन

क्र. सं.-........ 14666

स्टाम्प बिक्री की तिथि.......... 27-12-17

[illegible] प्रयोजन.......... [illegible] 14655

क्रेता का नाम व पूरा पता..........

स्टाम्प की धनराशि.......... 50—

स्टाम्प विक्रेता का नाम- [illegible] लाल

लाईसेन्स नं0 - [illegible]

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 733960

15. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।
16. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
17. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान ,चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
18. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवीं करना।
19. चल एवं अचल सम्पत्ति को देख–रेख व सुरक्षा करना।
20. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।
21. बैठक में शांति व्यवस्था कायम रखना।

22. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना /परिवर्तन करना।

23. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
24. संस्था की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
25. समस्त संस्थाओं / एजेंसियों / विभाग / मंत्रालय से सम्बंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
26. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
27. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष के न रहने पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा और सहयोग प्रदान करेगा।

कोषाध्यक्ष :

1. ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।

रुक्मिणी

शिवबचन

14667 27-12-17

श्री रविन्द्र यादव एडवोकेट 14655

5/5

14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 733961

15. **ट्रस्ट का कोषः**-ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

16. **ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिटः**-ट्रस्ट के आय-व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

17. **ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रियाः**-

ट्रस्ट के नियमों विनियमों में संशोधन की यदि आवश्यकता समझी जाती है तो ऐसे नियमों/विनियमों में संशोधन की सहमति बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज की बैठक में बहुमत से की जा सकेगी और ऐसे संशोधन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूरक ट्रस्ट डीड देकर पंजीकृत कराया जायेगा।

18. **ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः**-

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवीं मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/व्यक्यिों द्वारा की जायेगी।

19. **दायित्वः**-

ट्रस्ट की प्रदत ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक-पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत् सम्पत्ति जमानत में देंगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

20. ट्रस्ट का विघटनः-

रुक्मिणी

शिवबचन

14668 27-12-13

बही 1 जिल्द 9977 पृष्ठ 1 से 56 14655

56

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 733962

ट्रस्ट के विघटन होने की स्थिति में विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इस आधार पर होगी–ट्रस्ट मण्डल के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से ऋण की अदायगी व बकाये कर्ज का निस्तारण के उपरान्त शेष सम्पति के निस्तारण में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद जिनको इस ट्रस्ट में कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम, पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री शिव वचन सिंह पुत्र स्व0 राम नरेश कुशवाहा	मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष	बिजौली,अकछोर,रावर्टसगंज,सोनभद्र,उ0प्र0	कृषि व समाजसेवा,
2.	श्रीमती राम सिगासनी देवी पत्नि श्री शिवबचन सिंह	उपाध्यक्ष	बिजौली,अकछोर,रावर्टसगंज,सोनभद्र,उ0प्र0	गृहकार्य व समाजसेवा,
3.	रुक्मिणी देवी पत्नि श्री शिव कुमार वर्मा	कोषाध्यक्ष	बिजौली,अकछोर,रावर्टसगंज,सोनभद्र,उ0प्र0	गृहकार्य व समाजसेवा,

1. हस्ताक्षर गवाहन मोती लाल सिंह पु0 राम चन्द्र

2. हस्ताक्षर गवाहन

शिवबचन रुक्मिणी

14669 27-12-13

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल
लाईसेंस नं0 - 19
लाईसेंस की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 733962

आज दिनांक 28/12/2013 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 25

पृष्ठ सं. 223 से 252 पर क्रमांक 114

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश चन्द्र श्रीवा0(प्र0)

उप निबन्धक

सोनभद्र

28/12/2013